क्रमांक- 74

मध्यप्रदेश विधान सभा
पत्रक भाग-दो

रविवार, दिनांक 16 जुलाई, 2017 (आषाढ़ 25, 1939)

भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन.

भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के सिलसिले में आगामी सोमवार, दिनांक 17 जुलाई, 2017 को मध्यप्रदेश विधान सभा भवन, भोपाल स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 (एम-02,भूतल) में बनाये गये मतदान केन्द्र पर पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक मतदान होगा. मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यगण उक्त निर्वाचन हेतु निर्वाचक मण्डल के सदस्य हैं. निर्वाचक मण्डल के सदस्यों को अपना मत देने में किसी प्रकार की असुविधा न होवे, इस दृष्टि से भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 'निर्वाचकों को मतों की रिकार्डिंग हेतु अनुदेश' जारी किये गये हैं, जो निम्न प्रकार हैं:-

भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन में मत डालने के लिए निर्वाचकों के लिए अनुदेश

क. निर्वाचन की पद्धति

1. भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है.
2. इस पद्धति में, प्रत्येक मतदाता का केवल एक मत होगा किन्तु मतदाता निर्वाचन लड़ने वाले उतने अभ्यर्थियों के लिए, जिन्हें वह चाहे, अपने अधिमान (preference) या पसंद (choice) के क्रम में अपना अधिमान प्रदर्शित (indicate) कर सकता है.
3. मत/अधिमान चुनाव आयोग द्वारा प्रदाय किये गये पेन से अंकित किये जाना है.

ख. मतदान की विधि

4. मतदान केन्द्र में आपको, उस अभ्यर्थी के नाम के सामने, जिसका आप अपने प्रथम अधिमान (preference) के रूप में चुनाव करते हैं, दिये गये स्तंभ **'अधिमान का क्रम'** में अंक "1" अंकित करके मतदान करना चाहिए.
5. यह अंक "1" केवल एक अभ्यर्थी के नाम के सामने अंकित किया जाना चाहिए.
6. आपके पास उतने अधिमान (preference) हैं जितने निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं.
7. शेष अभ्यर्थियों के लिए अपने अधिमान (preference) को, ऐसे अभ्यर्थियों के नामों के सामने दिये गये स्तंभ **'अधिमान का क्रम'** में अपने अधिमान के क्रम में पश्चातवर्ती अंक '2' '3' '4' आदि अंकित करके प्रदर्शित करें.
8. यह सुनिश्चित कर लें कि आप किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल एक ही अंक अंकित करें और यह भी सुनिश्चित कर लें कि एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने वहीं अंक अंकित न किया जाय.
9. अधिमान (preference) केवल अंकों में अर्थात् 1, 2, 3 आदि से प्रदर्शित (indicate) किये जाएंगे और 'एक, दो, तीन' आदि शब्दों से प्रदर्शित (indicate) नहीं किये जाएंगे.
10. अंक, भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप में जैसे 1, 2 आदि या रोमन रूप I, II आदि में या किसी भारतीय भाषा में उपयोग में लाये जाने वाले रूप में अंकित किये जा सकेंगे.
11. यह सुनिश्चित कर लें कि आप मतपत्र पर अंक 1, 2, 3 आदि केवल ऐसी **विशेष लेखनी (pen)** से अंकित करें जो इस प्रयोजन के लिए आपको आधिकारिक तौर पर दी जायेगी. उक्त अंक 1, 2, 3 आदि अंकित करने के लिए किसी अन्य लेखनी (pen) या अपनी स्वयं की लेखनी (pen) आदि का उपयोग न करें क्योंकि यह आपके मतपत्र को **अविधिमान्य (invalid)** बना सकता है.
12. मतपत्र पर अपना नाम या कोई भी शब्द न लिखें और अपने हस्ताक्षर (signature) या आद्यक्षर (initials) न करें. अंगूठे की छाप (thumb impression) भी नहीं लगायें. यह आपके मतपत्र को **अविधिमान्य (invalid)** बना देंगे.
13. अपने मतपत्र को किसी भी तरीके से विरूपित नहीं करें. कृपया नोट करें कि यदि आपको निर्गत मतपत्र फट जाता है या विरूपित हो जाता है तो आपको नया मतपत्र जारी नहीं किया जायेगा.

--2----